राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (45)ग्राविवि–5/PMAYG/M-1/बैठक/2017–18/ दिनांक 29 अगस्त, 2018

:–विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यवाही विवरण:–

विभागीय विडियो कॉन्फ्रेसिंग सूचना दिनांक 27.08.2018 के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2018–19 की स्वीकृति जारी करने एवं प्रगति की समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2018 को सांय 5 बजे विडियो कॉन्फ्रेंस हॉल, पुस्तकालय भवन, सचिवालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारियो के साथ विडियो कॉन्फ्रेस आयोजित की गई।

विडियो कॉन्फ्रेस में बिन्दुवार चर्चा उपरांत निम्न निर्देश दिये गये :–

1. वर्ष 2018–19 की प्रगति अनुसार 19049 स्वीकृतियां शेष है। इस संबंध में दिनांक 31 अगस्त, 2018 तक बकाया सभी स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश दिये गये।
2. जिला अलवर द्वारा 1500, दौसा द्वारा लगभग 460 एवं जोधपुर द्वारा लगभग 500 के लक्ष्य समर्पित (surrender) करने के बारे में अवगत कराया गया जिसके लिए लिखित में विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इस क्रम में अतिरिक्त आवंटन हेतु जिला उदयपुर, बांसवाडा एवं डूंगरपुर द्वारा अनुरोध कर अपनी सहमति दी।
3. विभागीय पत्र दिनांक 3.8.18 द्वारा आवंटित प्रतिदिवस पूर्ण करने के लक्ष्यानुसार आवास पूर्ण कराते हुये स्वीकृत सभी आवासो को दिनांक 31 अक्टूम्बर, 2018 तक पूर्ण कराने हेतु नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
4. योजनान्तर्गत प्रथम किश्त हस्तान्तरण के उपरान्त 57962 आवास 9 माह से अधिक एवं 30898 आवास 1वर्ष से अधिक समय व्यतित होने के उपरान्त भी अपूर्ण है। अतः उक्त आवासो की नियमित समीक्षा कर शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
5. योजनान्तर्गत 229 स्वीकृत प्रोटोटाईप आवासों मे से 177 आवास अपूर्ण है, उक्त आवासो को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये। साथ ही जिन जिलो (सीकर एवं झुंझुंनू को छोड कर) द्वारा प्रोटोटाईप आवास स्वीकृत नहीं किये गये है उन्हे भी प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि की सीमा में योजना के कियान्वयन फेर्मवर्क अनुसार आईआईटी दिल्ली के सहयोग से विकसित प्रोटोटाईप आवासों के मॉडल अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर एक प्रोटोटाईप आवास निर्माण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में विडियो कॉन्फ्रेंस सधन्यवाद समाप्त हुई ।

(जयपाल सिंह मेडतिया)
राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, (PMAY-G)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

29/8/18
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि